मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3505

10.08.2026 को उत्तर के लिए

हिंसक वन्यजीवों को पकड़ना

3505. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तेंदुए, बाघ, भालू और ऐसे अन्य वन्यजीवों जैसे हिंसक और आदमखोर वन्य जीवों को पकड़ने और मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार और राज्य वन विभाग द्वारा कोई विशेष योजना या कार्य योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ आवंटित की गई निधि और किए गए व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे मामलों में पकड़े गए वन्यजीवों की संख्या अथवा ऐसी स्थितियों में की गई अन्य आवश्यक कार्रवाई का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और वन्यजीव-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपरोक्त योजनाओं और उपायों से मानव-वन्यजीव संघर्ष और मानव जीवन के नुकसान की घटनाओं में कितनी कमी आई है और इसके प्रमुख परिणाम क्या हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ): मानव-वन्यजीव संघर्ष के शमन सहित वन्यजीवों के प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन किसी भी संघर्ष की स्थिति में सबसे पहले कार्रवाई करते हैं और वे संघर्ष से संबंधित ब्यौरों के साथ-साथ इसमें शामिल प्रजातियों का ब्यौरा भी रखते हैं।

मंत्रालय मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए केंद्र प्रायोजित समग्र योजना "वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास" के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें "वन्यजीव पर्यावासों का विकास" और "बाघ एवं हाथी परियोजना" जैसी उपयोजनाएं शामिल हैं। इस सहायता के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, संकटग्रस्त वन्य जीवों को पकड़ना और उनका पुनर्वास करना, पुनर्वास किए गए वन्य जीवों के लिए अवसंरचना का सृजन, ऐसे जीवों की निगरानी करना और उन्हें दूर भगाना,

मानव जीवन की हानि तथा फसलों और संपत्ति के नुकसान के लिए मुआवजा, बीमा कवरेज, जन जागरूकता और वन विभाग के कर्मचारियों का क्षमता निर्माण शामिल हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का ब्यौरा **अनुलग्नक I और II** में दिया गया है।

वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य वन्यजीव वार्डनों को अनुसूची-1 में सूचीबद्ध मानव जीवन के लिए खतरनाक किसी भी वन्यजीव को पकड़ने या स्थानांतरित करने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार प्रदान करती है। इस प्रकार का डेटा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर रखा जाता है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने मानव-बाघ नकारात्मक अंतःक्रियाओं को कम करने के लिए 88.7 करोड़ रुपये के परिव्यय से "बाघ अभयारण्यों के बाहर बाघ" नामक योजना शुरू की है। मानव-हाथी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए भारत सरकार ने दक्षिणी राज्यों के लिए हाथी संरक्षण हेतु क्षेत्रीय कार्य-योजना को मंजूरी दी है। मंत्रालय ने मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक और संस्थागत तंत्र को मजबूत करने के लिए सलीम अली पक्षीविज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र (एसएसीओएन), भारतीय वन्यजीव संस्थान-दक्षिण भारत केंद्र, कोयंबटूर में मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है। मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों ने मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम और प्रबंधन को मजबूत बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर उप-शमन तथा साक्ष्य-आधारित और प्रौद्योगिकी-सक्षम दृष्टिकोण अपनाने में सहायता मिली है।

अनुलग्नक-।

'हिंसक वन्यजीवों को पकड़ने' के संबंध में दिनांक 10.08.2026 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3505 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

वर्ष 2024-25 से 2025-26 के दौरान सीएसएस - 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' के तहत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों को जारी की गई निधियों का विवरण।

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम**	**2024-25**	**2025-26**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0*	0*
2	अरुणाचल प्रदेश	1044.819	1456.2773
3	असम	1234.4652	791.99959
4	बिहार	0*	66.69278
5	चंडीगढ़	0*	0*
6	छत्तीसगढ	135.58248	16.80041
7	गोवा	66.44425	0*
8	गुजरात	801.58248	371.54061
9	हरियाणा	232.9722	205.32605
10	हिमाचल प्रदेश	172.31067	80.14962
11	जम्मू एवं कश्मीर	73.97099	53.15445
12	झारखंड	71.93619	4.818
13	कर्नाटक	800.8205	380.74875
14	केरल	909.63915	597.24019
15	मध्य प्रदेश	740.89064	307.5062
16	महाराष्ट्र	622.0670	497.75553
17	मणिपुर	261.70605	0*
18	मेघालय	389.5938	35.50804
19	मिजोरम	344.3258	532.43616
20	नागालैंड	1490.04	998.905
21	ओडिशा	1108.46011	785.36118
22	राजस्थान	0*	417.55485
23	सिक्किम	221.17	250.9924
24	तमिलनाडु	661.78722	241.73035
25	तेलंगाना	0*	39.61404
26	उत्तर प्रदेश	393.86725	389.51196

27	उत्तराखंड	652.470665	285.38853
28	पश्चिम बंगाल	183.14895	436.42348
29	पुदुचेरी	0*	0*
30	लक्षद्वीप	217.185	260.7662
31	त्रिपुरा	339.4863	15.39162
32	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	0*	0*
	उप योग-I	**13170.74**	**9519.59**

*कुछ मामलों में निधियां जारी नहीं की गईं, क्योंकि या तो व्यय का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया था, राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए थे, अथवा मिले हुए प्रस्ताव मौजूदा आवश्यकताओं के अनुसार अपूर्ण थे।

अनुलग्नक-।।

'हिंसक वन्यजीवों को पकड़ने' के संबंध में दिनांक 10.08.2026 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3505 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

वर्ष 2024-25 से 2025-26 के दौरान बाघ और हाथी परियोजना नामक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत राज्य-वार जारी की गई धनराशि

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2024-25**	**2025-26**
		पीटी एण्ड ई	**पीटी एण्ड ई**
1	आंध्र प्रदेश	365.13	210.4
2	अरुणाचल प्रदेश	1767.99	1181.35
3	असम	3030.84438	2279.78
4	छत्तीसगढ	307.98951	249.78
5	झारखंड	727.556	0*
6	कर्नाटक	2801.267	1963.24
7	केरल	221.36725	640.86
8	महाराष्ट्र	4176.7048	2332.29
9	मेघालय	59.4	61.11
10	नागालैंड	305.442	319.46
11	ओडिशा	919.57923	681.46
12	तमिलनाडु	2184.88357	1355.46
13	त्रिपुरा	14.68868	0*
14	उत्तर प्रदेश	2075.10675	263.88
15	उत्तराखंड	1823.2319	681.26
16	पश्चिम बंगाल	425.94994	298.62
17	हरियाणा	31.2	1.76
18	बिहार	543.09678	275.69
19	राजस्थान	579.47723	591.78
20	मध्य प्रदेश	5910.501	1939.82
21	मणिपुर	29.25	7.81
22	मिजोरम	367.08969	250.63
23	तेलंगाना	291.682	262.73
24	हिमाचल प्रदेश	40.572	2.75
	कुल	**29000**	**15851.92**

*कुछ मामलों में निधियां जारी नहीं की गईं, क्योंकि या तो व्यय का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया था, राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए थे, अथवा मिले हुए प्रस्ताव मौजूदा आवश्यकताओं के अनुसार अपूर्ण थे।